कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज–अनुभाग)

संख्या :–760 /30एम0एम0सी0/2025–26 दिनाँक: 01/09/2026

शुद्धि पत्र/प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–झाँसी में उपखनिज ईमारती पत्थर के खनन क्षेत्रों को खनन परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–653(1)/30एम0एम0सी0/ विज्ञप्ति–ख0बो0/गि0बै0/2026–27 दिनांक: 11.08.2026 में प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन तथा द्वितीय चरण की ई–नीलामी हेतु निर्धारित तिथि दिनांक: 09.09.2026 को एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, लखनऊ में अवकाश होने के कारण उक्त विज्ञप्ति के कम में उल्लिखित खनन क्षेत्रों हेतु प्रथम चरण में ई–निविदा (ई–टेण्डर की अवधि), प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन तथा द्वितीय चरण की ई–नीलामी हेतु संशोधित निर्धारित तिथि निम्नवत् है :–

प्रथम चरण मे ई–निविदा (ई–टेण्डर की अवधि)	दिनांक: 14/09/2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक: 17/09/2026 के सायं 05:00 बजे तक।
प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक: 18/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–1 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 18/09/2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे कमांक–2 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 18/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–3 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 18/09/2026 को अपरान्ह 01:00 बजे कमांक–4 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 21/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–5 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 21/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–6 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 21/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–7 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 21/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–8 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 22/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–9 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 22/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–10 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 22/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–11 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 22/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–12 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 23/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–13 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 23/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–14 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 23/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–15 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 23/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–16 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 24/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–17 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 24/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–18 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 24/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–19 पर विज्ञापित क्षेत्र

---2

द्वितीय चरण की ई–नीलामी की अवधि	दिनांकः 18/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–1 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 18/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–2 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 18/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–3 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 18/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–4 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 21/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–5 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 21/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–6 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 21/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–7 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 21/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–8 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 22/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–9 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 22/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–10 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 22/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–11 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 22/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–12 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 23/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–13 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 23/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–14 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 23/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–15 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 23/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–16 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 24/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–17 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 24/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–18 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांकः 24/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–19 पर विज्ञापित क्षेत्र

उपरोक्त विज्ञप्ति संख्या–553(1)/30एम0एम0सी0/विज्ञप्ति–ख0बो0/गि0बै0/2026–27 दिनांकः 11.08.2026 के शेष अंश यथावत् रहेगें।

(गौराग राठी)
जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, झाँसी।
4– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म,उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
7– शाखा प्रबन्धक,एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, द्वितीय तल,सेंटर कोर्ट बिल्डिंग,3/सी, 5 पार्क रोड, सिविल अस्पताल के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, झाँसी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, झाँसी, मोंठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
10– जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
11– प्रभारी अधिकारी (नजारत), कलेक्ट्रेट, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(गौराग राठी)
जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज–अनुभाग)

संख्या :-653 /30एम0एम0सी0 / विज्ञप्ति–ख0बो0 / गि0बै0 / 2025–26 दिनाँकः 11/08/2026

ई–निविदा सह ई नीलामी आमन्त्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–3236 / 86–2017–57(सा0) / 2017 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांकः 12.12.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अध्याय–4 के नियम–23(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद–झाँसी के ईमारती पत्थर (ग्रेनाईट) यथा खण्डा, गिट्टी, बोल्डर (ग्रेनाईट आयामी पत्थर को छोड़कर) तथा पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न लाल मौरम के रिक्त क्षेत्रो को 07 दिन की अल्प अवधि पर ई–निविदा सह–ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त एतद्द्वारा उपलब्ध घोषित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियो कोआर्डिनेटस			नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर (रू0 प्रति घनमीटर)	खनन योग्य उपलब्ध उपखनिज की निर्धारत वार्षिक मात्रा (घनमीटर)	प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर के आधार पर उपखनिज की निर्धारित वार्षिक मात्रा की सकल धनराशि (रू0 में)	अर्नेष्टमनी (कालम–10 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) की धनराशि (रू0 में)
		तहसील	ग्राम	गाटा सं0 (खण्ड सं0)	क्षेत्रफल (हे0 में)		अक्षांश	देशांतर				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10 (8 X 9)	11
	DSR AREA CODE-1528370423											
1	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	झाँसी	गोरामछिया	688घ (खण्ड–21)	0.809	A	25°27'24.59"	78°40'27.67"	165.00	8090	13,34,850.00	3,33,713.00
						B	25°27'21.81"	78°40'27.31"				
						C	25°27'21.30"	78°40'30.53"				
						D	25°27'24.29"	78°40'30.85"				
	DSR AREA CODE-1527560401											
2	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	झाँसी	पालीपहाड़ी	856 (खण्ड–4)	0.728	A	25°27'08.73"	78°30'26.00"	165.00	21840	36,03,600.00	9,00,900.00
						B	25°27'10.42"	78°30'26.54"				
						C	25°27'10.36"	78°30'28.10"				
						D	25°27'09.51"	78°30'29.59"				
						E	25°27'08.85"	78°30'30.05"				
						F	25°27'07.11"	78°30'30.29"				
	DSR AREA CODE-1521000406											
3	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	मोंठ	मड़ोराखुर्द	281 (खण्ड–5)	1.780	A	25°47'25.90"	79°01'08.15"	165.00	17800	29,37,000.00	7,34,250.00
						B	25°47'25.12"	79°01'09.88"				
						C	25°47'25.03"	79°01'10.67"				
						D	25°47'27.13"	79°01'12.20"				
						E	25°47'26.58"	79°01'14.08"				
						F	25°47'21.89"	79°01'13.59"				
						G	25°47'22.50"	79°01'08.70"				
	DSR AREA CODE-1521030402											
4	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	मोंठ	सिलारी	277 (खण्ड–2)	1.416	A	25°45'42.16"	79°01'48.00"	165.00	28320	46,72,800.00	11,68,200.00
						B	25°45'41.32"	79°01'52.66"				
						C	25°45'40.05"	79°01'53.84"				
						D	25°45'37.86"	79°01'53.02"				
						E	25°45'38.42"	79°01'49.42"				
						F	25°45'40.75"	79°01'48.28"				
	DSR AREA CODE-1527060201											
5	पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न लाल मौरम	मऊरानीपुर	भड़रा	585 (खण्ड–1)	2.000	A	25°12'50.81"	79°15'36.06"	100.00	20000	20,00,000.00	5,00,000.00
						B	25°12'54.37"	79°15'43.43"				
						C	25°12'52.78"	79°15'44.85"				
						D	25°12'47.85"	79°15'38.25"				

.....2

Scanned with CamScanner

	DSR AREA CODE-1528380413											
6	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	झाँसी	दुनारा	22 (खण्ड–09)	1.052	A	25°27'33.76"	78°41'36.85"	165.00	21,040.00	34,71,600.00	8,67,900.00
						B	25°27'32.89"	78°41'39.44"				
						C	25°27'29.37"	78°41'40.74"				
						D	25°27'29.98"	78°41'36.50"				
	DSR AREA CODE-1521000408											
7	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	मोंठ	मड़ौरा खुर्द	281 (खण्ड–4)	1.000	A	25°47'25.80"	79°01'08.16"	165.00	20,230.00	33,37,950.00	8,34,488.00
						B	25°47'25.51"	79°01'05.62"				
						C	25°47'22.94"	79°01'06.10"				
						D	25°47'22.90"	79°01'06.80"				
						E	25°47'21.31"	79°01'06.81"				
						F	25°47'21.21"	79°01'10.07"				
						G	25°47'22.32"	79°01'10.15"				
						H	25°47'22.50"	79°01'08.70"				
	DSR AREA CODE-1526920403											
8	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	रौनी	1619 (खण्ड–2)	1.618	A	25°12'19.72"	79°08'24.77"	165.00	24,270.00	40,04,550.00	10,01,138.00
						B	25°12'22.00"	79°08'18.76"				
						C	25°12'18.55"	79°08'17.55"				
						D	25°12'17.68"	79°08'24.04"				
	DSR AREA CODE-1526900403											
9	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	कंजा	376मि0 (खण्ड–3)	2.000	A	25°12'32.81"	79°07'29.95"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°12'29.46"	79°07'35.96"				
						C	25°12'26.93"	79°07'34.64"				
						D	25°12'29.70"	79°07'27.80"				
	DSR AREA CODE-1526900404											
10	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	कंजा	376मि0 (खण्ड–4)	2.000	A	25°12'22.53"	79°07'28.68"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°12'28.33"	79°07'31.17"				
						C	25°12'26.93"	79°07'34.64"				
						D	25°12'21.55"	79°07'32.55"				
	DSR AREA CODE-1526900405											
11	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	कंजा	376मि0 (खण्ड–5)	2.000	A	25°12'22.53"	79°07'28.68"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°12'28.33"	79°07'31.17"				
						C	25°12'29.70"	79°07'27.80"				
						D	25°12'23.38"	79°07'25.41"				
	DSR AREA CODE-1526900406											
12	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	कंजा	376मि0 (खण्ड–6)	2.000	A	25°12'24.70"	79°07'19.29"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°12'28.53"	79°07'22.43"				
						C	25°12'27.26"	79°07'26.88"				
						D	25°12'23.38"	79°07'25.41"				
	DSR AREA CODE-1526900407											
13	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	कंजा	376मि0 (खण्ड–7)	1.300	A	25°12'33.51"	79°07'27.11"	165.00	13,000.00	21,45,000.00	5,36,250.00
						B	25°12'28.53"	79°07'22.43"				
						C	25°12'27.26"	79°07'26.88"				
						D	25°12'29.70"	79°07'27.80"				
						E	25°12'31.30"	79°07'26.70"				
	DSR AREA CODE-1526310401											
14	खण्डा–बोल्डर/ गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	बोडा	146 (खण्ड–1)	2.000	A	25°09'49.68"	79°02'49.58"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°09'46.50"	79°02'55.00"				
						C	25°09'43.17"	79°02'51.98"				
						D	25°09'45.68"	79°02'48.89"				
						E	25°09'48.19"	79°02'48.22"				

.....3

Scanned with CamScanner

	DSR AREA CODE-1526310402											
15	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	बोड़ा	140 (खण्ड–2)	2.000	A	25°09'43.29"	79°02'59.00"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°09'46.50"	79°02'55.00"				
						C	25°09'43.17"	79°02'51.98"				
						D	25°09'41.51"	79°02'54.00"				
						E	25°09'39.72"	79°02'55.31"				
	DSR AREA CODE-1526310404											
16	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	बोड़ा	140 (खण्ड–4)	2.000	A	25°09'38.02"	79°03'05.69"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°09'40.60"	79°03'02.17"				
						C	25°09'36.78"	79°02'58.19"				
						D	25°09'36.46"	79°02'59.16"				
						E	25°09'34.22"	79°03'01.92"				
	DSR AREA CODE-1526310405											
17	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	बोड़ा	140 (खण्ड–5)	2.000	A	25°09'38.02"	79°03'05.69"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°09'36.09"	79°03'09.06"				
						C	25°09'31.18"	79°03'04.33"				
						D	25°09'34.22"	79°03'01.92"				
	DSR AREA CODE-1526310406											
18	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	मऊरानीपुर	बोड़ा	140 (खण्ड–6)	2.000	A	25°09'34.36"	79°03'11.81"	165.00	20,000.00	33,00,000.00	8,25,000.00
						B	25°09'36.09"	79°03'09.06"				
						C	25°09'31.18"	79°03'04.33"				
						D	25°09'30.14"	79°03'05.42"				
						E	25°09'29.68"	79°03'07.92"				
	DSR AREA CODE-1528370432											
19	खण्डा–बोल्डर / गिट्टी–बैलास्ट	झाँसी	गोरामाछया	654ग (खण्ड–1)	0.809	A	25°27'58.87"	78°40'19.34"	165.00	8,090.00	13,34,850.00	3,33,713.00
						B	25°27'58.48"	78°40'21.32"				
						C	25°27'54.04"	78°40'20.36"				
						D	25°27'54.48"	78°40'18.29"				

2– ईमारती पत्थर यथा खण्डा,गिट्टी,बोल्डर (ग्रेनाईट आयामी पत्थर को छोड़कर) तथा पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न लाल मौरम का खनन पट्टा अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से खनन पट्टा प्रारम्भ माना जायेगा तथा पट्टे की अवधि की गणना पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3– उपखनिज (ईमारती पत्थर यथा खण्डा,गिट्टी,बोल्डर तथा पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न लाल मौरम) की ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया मे ई–निविदा/ई–नीलामी बोली उपखनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे कम ई–निविदा/ई–नीलामी बोली दिये जाने पर ई–निविदा/ई–नीलामी बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री–बिड अर्नेस्टमनी के रुप मे जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगी। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र मे अनुमन्य मात्रा यदि उक्त मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा मान्य होगा। तदनुसार किसी क्षेत्र के लिये उपखनिज की निर्धारित वार्षिक मात्रा (घनमीटर) को उपखनिज के लिये प्राप्त सर्वोच्च ई–नीलामी बोली की दर (रुपया प्रति घनमीटर) से गुणा करने पर प्राप्त धनराशि उस क्षेत्र के लिये प्रथम वर्ष मे देय नीलामी पट्टा की धनराशि मानी जायेगी। ईमारती पत्थर (ग्रेनाईट) यथा खण्डा, गिट्टी, बोल्डर तथा पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न लाल मौरम के उपखनिजों पर प्रथम 10 वर्षों के लिये प्रति वर्ष संदेय धनराशि, सर्वोच्च ई–नीलामी बोली की दर अथवा समय–समय पर नियमावली मे विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

.....4

Scanned with CamScanner

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर संदेय धनराशि मे 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी किन्तु अनुवर्ती वर्षों मे संदेय धनराशि, नियमावली, 2021 मे विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर से कम नही होगी।

4– ई–निविदा सह–ई–नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई–निविदा (e-tender) देने का अवसर प्राप्त होगा जिसमें दी गई निविदा को पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई–नीलामी करायी जायेगी, जिसके दौरान बिडर्स ई–नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई–बिड दे सकते है। ई–नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपनी बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।

5– किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु बिडर्स को उस क्षेत्र के लिये निर्धारित प्री–बिड अर्नेष्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। प्री–बिड अर्नेष्ट मनी की गणना क्षेत्र मे प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित उपखनिज की मात्रा एवं उक्त नियमावली, 2021 के अनुसूची–1 मे उपखनिज के लिये विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर (आधार मूल्य) से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।

6– एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता संस्था के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रकिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई–ऑक्सन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

7– इच्छुक आवेदकों के लिये ऑन लाईन बिड/बोली हेतु Class-III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग ले सकेगें। ई–निविदा सह ई–नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8– पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकगें, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0 15,000–00 (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

9– ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 लि0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वतः जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 लि0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होगी, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 लि0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क, जी0एस0टी0 सहित रू0 2,360–00 (रू0 दो हजार तीन सौ साठ) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान करना होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन

.....5

Scanned with CamScanner

आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउण्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व मे पंजीकृत बिडर्स, जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, में पंजीकरण शुल्क देना नही होगा, परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10– पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

(1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में भारत सरकार के कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण–पत्र की प्रति।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ–पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह–ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, तथा बैंक का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(6) नियम–23(2)(ख) के अनुसार विज्ञापित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही मे समाप्त हुआ हो, के सम्बन्ध मे सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र। उक्त प्रमाण पत्र अपालोड न करने की दशा मे आवेदक पर नियम–23(2)(ख) के प्राविधान लागू नही होंगें।

(7) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनरशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11– एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,उ0प्र0 की वेबसाईट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:–

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

.....6

Scanned with CamScanner

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

(7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न किया हो।

12– रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापनः–

(1) ऑनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि एवं शर्तो का विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0 एस0 टी 0सी0 के वेव पोर्टल "http://www.mstcecommerce.com" पर देखा जा सकता है। वेव पोर्टल पर प्रदर्शित विज्ञप्ति सम्बन्धी सूचना निविदाकार द्वारा पढ़ी हुई मानते हुए उनकी सहमति समझी जायेगी।

(2) ई–निविदा सह–ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक–पृथक रू0 15000–00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम के सम्मुख अंकित है, जमा किया जाना होगा।

(3) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) बोलीदाता/निविदादाता के बैंक के खाते मे वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते मे बदलाव मान्य नही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों मे निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

(4) जहां किसी भी कारण से ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी की जा सकती है।

(5) अधिकतम तीन खनन पट्टे अथवा 25 हेक्टयर से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे या 25 हेक्टयर से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के तीन क्षेत्र के खनन पट्टे ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 25 हेक्टयर से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा होने की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई खननपट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

.....7

Scanned with CamScanner

13– ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी।

14– **ई निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया :–**

(1) ई निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई–निविदा विज्ञापन मेंनिर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उप खनिज के लिए प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उप खनिज के लिए नियमावली, 2021 के अनुसूची–1 मे उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई–नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में दी गयी धनराशि निर्धारित न्यूनतम बोली से 200 प्रतिशत से अधिक है तथा निविदादाता शेष शर्ते पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) 200 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उप खनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगें।

(ग) यदि प्रथम चरण मे एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है, तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई–नीलामी की प्रक्रिया मे भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के सर्वोच्च बोलीदाता के पक्ष मे जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

(घ) यदि प्रथम चरण मे पाँच से अधिक बिड/ऑफर प्राप्त होते हैं, तब केवल पाँच सर्वाधिक ई–निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई–नीलामी मे भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के सर्वोच्च बोलीदाता के पक्ष मे जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

(ड.) आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ, को ई–निविदा सह–ई–नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र पर प्रादेशिक (Teritorial) अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर नियम–23(2)(ख) के शर्तो के अधीन प्रदत्त है।

उपरोक्तानुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसने पंजीकरण के समय बिन्दु संख्या–10(6) के अनुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो तथा द्वितीय चरण की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया हो, को क्षेत्र विशेष की नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को स्वतः संज्ञान में लेकर उससे अधिक की पेशकश/आफर का पत्र अपने हस्ताक्षर

.....8

Scanned with CamScanner

सहित स्कैन कर अपने रजिस्टर्ड ई0मेल आई0डी0 के माध्यम से ई–नीलामी की समाप्ति की तिथि से अगले कार्यदिवस के सायं 5:00 बजे तक जिलाधिकारी के ई–मेल आई0डी0 एवं एम0एस0टी0सी0 के मेल आई0डी0 पर प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त होगा, अन्यथा की दशा में पूर्ववर्ती पट्टाधारक के आधार पर उपरोक्त प्राथमिकता का उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 केनियम–23(2)(ख)के अन्तर्गत लाभ नहीं मिलेगा।

जिलाधिकारी तीन कार्य दिवसों के भीतर उक्त के सम्बन्ध में निर्णय लेकर सम्बन्धित पूर्व पट्टाधारक, एम0एस0टी0सी0 एवं नीलामी में भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता को संसूचित करेंगे।

(3) उपरोक्त प्रस्तर–14(2) (ग) ,(घ) ,(ड) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई–नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) ई–नीलामी की प्रक्रिया, जो ई–निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, मे इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली मे कई बार भाग ले सकता है। ई–नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया मे स्क्रीन पर अधिकतम् बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दी जा सकती है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली की कार्यवाही बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दी जा सकती है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया निम्नलिखित काल योजना एवं अवधि के अनुसार सम्पादित की जायेगी:–

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	दिनांक:14/08/2026
प्री–बिड ई.एम.डी. एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई–निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित अर्नेष्ट मनी (ई.एम.डी.) एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 की बेवसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा की जायेगी।
प्रथम चरण मे ई–निविदा (ई–टेण्डर की अवधि)	दिनांक:25/08/2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक:01/09/2026 के सायं 05:00 बजे तक।

.....9

Scanned with CamScanner

प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक:02/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–1 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:02/09/2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे कमांक–2 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:02/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–3 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:02/09/2026 को अपरान्ह 01:00 बजे कमांक–4 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:03/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–5 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:03/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–6 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:03/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–7 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:03/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–8 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:07/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–9 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:07/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–10 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:07/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–11 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:07/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–12 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:08/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–13 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:08/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–14 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:08/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–15 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:08/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–16 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:09/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–17 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:09/09/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमांक–18 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:09/09/2026 को अपरान्ह 01.00 बजे कमांक–19 पर विज्ञापित क्षेत्र
द्वितीय चरण की ई–नीलामी की अवधि	दिनांक:02/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–1 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:02/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–2 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:02/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–3 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:02/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–4 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:03/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–5 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:03/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–6 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:03/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–7 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:03/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–8 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:07/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–9 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:07/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–10 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:07/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–11 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:07/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–12 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:08/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–13 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:08/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–14 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:08/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–15 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:08/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–16 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:09/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–17 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:09/09/2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कमांक–18 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक:09/09/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कमांक–19 पर विज्ञापित क्षेत्र

.....10

Scanned with CamScanner

(8) **परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :–**

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् सर्वोच्च निविदा धनराशि (बिड–एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं, को भी लॉगिन कर जान सकते है।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों मे द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

15 **खनन पट्टे का दिया जाना:**–नियमावली–2021 के नियम–28 के प्रावधानों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर–14(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह सर्वोच्च बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

16 ई–नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख–सत्यापन की आख्या ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख–सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्टमनी) जब्त कर ली जायेगी।

17. **लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :–**

(1) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत तथा स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 12 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्टमनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(2) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षो की किश्तें नियमावली–2021 के संशोधित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा करनी होगी।

(3) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा, जिसमे सीमा बिन्दुओं का जिओ–कोआर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा–स्तम्भ लगायेगा एवं इनका अनुरक्षण करेगा।

(4) चयनित आवेदक नियम–35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(6) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा होने का प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

.....11

Scanned with CamScanner

(7) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर खनन संक्रिया प्रारम्भ की जानी होगी।

18 **सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :–**

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि अधिकतम् 20 वर्ष की अवधि के लिये होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता पत्र मे अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई–नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा धनराशि नियमावली, 2021 के संशोधित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) प्राप्त होने के उपरान्त दो दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता/निविदादाता को प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रुप मे तथा 12 प्रतिशत प्रथम किस्त के रुप मे सम्बन्धित जनपद में खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक मे प्री–बिड अर्नेष्ट मनी समायोजित करते हुये जमा करना होगा। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने मे असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेष्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा। प्री–बिड अर्नेष्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी।

(3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 88 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली, 2021 की संशोधित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा करना होगा।

19. **शर्तेः–**

(1) ई निविदा सह–ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

.....12

Scanned with CamScanner

(3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांकः से तीन माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा। 02 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के पट्टाधारक को पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने से दो वर्ष के भीतर स्टोन क्रशर स्थापित करना होगा।

(4) पट्टाधारक **नियम–36** के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी द्वार पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेटका निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उप खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकाडिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेवकरने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(8) ई–निविदा सह–ई–नीलामी की बिड/बोली को स्वीकार करने अथवा किसी क्षेत्र के उच्चतम बिड/बोली को कारण अभिलिखित करते हुए अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी को निहित होगा।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ अभिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य पट्टाधारक प्रदर्शित करेगा।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रकिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

.....13

Scanned with CamScanner

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन किया जाता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगी।

(14) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–60(1) में उल्लिखित प्राविधान अमल में लायी जायेगी, जो इस प्रकार है:– "प्रस्तावक, जो आशय–पत्र प्राप्त किया हो, तथापि नियम 35 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया हो या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया हो, रू0 दस हजार प्रतिदिन की शास्ति के लिये दायी होगा। शास्ति की धानराशि, जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।

(15) यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने में अकारण विलम्ब करता है तो उसके द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए निर्गत आशय–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
झाँसी।
O/C

पत्रांक व तद्दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, झाँसी।
4– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म,उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
7– शाखा प्रबन्धक,एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, द्वितीय तल,सेंटर कोर्ट बिल्डिंग,3/सी, 5 पार्क रोड, सिविल अस्पताल के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, झाँसी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, झाँसी, मोंठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
10– जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
11– प्रभारी अधिकारी (नजारत), कलेक्ट्रेट, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
झाँसी।
O/C 10/8/2025

Scanned with CamScanner